मासिक
RNI No. MPHIN/2004/14249

अक्षर वार्ता

मूल्य: 250 /- रूपये
डाक पंजीयन क्र. मालवा डिवीजन - L2/65/RNP/399/2024-2026

वर्ष - 21 अंक - 10
(अगस्त - 2025)
Vol - XXI, Issue No - X
(August - 2025)

कला-मानविकी-समाजविज्ञान-जनसंचार-वाणिज्य-विज्ञान-वैचारिकी की अंतरराष्ट्रीय रेफर्ड एवं पियर रिव्यूड शोध पत्रिका

ISSN : 2349 - 7521
IMPACT FACTOR - 9.0

Aksharwarta is a Monthly International, Refereed & Peer Reviewed Journal
ISSN 2349 - 7521 , IMPACT FACTOR - 9.0
https://doi.org/10.5281/zenodo.15879136
Indexed In International, Impact Factor Services (IIFS) Database and Indexed with IIJIF
AKSHARWARTA IS registered MSME with Ministry of MSME, Government of India
MSME Reg. No. UDYAM-MP-49-0005021
» aksharwartajournal@gmail.com » https://www.aksharwartajournal.page/ » + 918989547427

ISSN 2349 - 7521
RNI No. MPHIN/2004/14249

मासिक

अक्षर वार्ता

मूल्यः 250 /- रूपये

MSME Reg. No. UDYAM-MP-49-0005021

वर्ष-21 अंक - 10 , अगस्त - 2025
Vol - XXI, Issue No. X
August - 2025
Impact Factor - 9.0
aksharwartajournal@gmail.com

https://doi.org/10.5281/zenodo.15879136

Monthly International Refereed & Peer Reviewed Journal

प्रधान संपादक
प्रो. शैलेन्द्रकुमार शर्मा
कुलानुशासक एवं हिन्दी विभागाध्यक्ष
विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन, मप्र.

संपादक
डॉ. मोहन बैरागी
अक्षरवार्ता अंतरराष्ट्रीय शोध पत्रिका

संपादक मंडल

प्रो. जगदीशचन्द्र शर्मा, प्राध्यापक
विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन, मप्र.
प्रो. राजश्री शर्मा, प्राध्यापक
माधव महाविद्यालय, उज्जैन, मप्र.
प्रो. डी. डी. बेदिया, विभागाध्यक्ष
पं. जवाहर लाल नेहरू व्यवसाय प्रबंध
संस्थान, एवं निदेशक, आईक्यूएसी,
विक्रम युनिवर्सिटी, उज्जैन, मप्र.
डॉ. शशि रंजन 'अकेला' जनसंपर्क
अधिकारी, आरजीपीवी, भोपाल, मप्र.
प्रो. उमापति दिक्षित, प्राध्यापक
केंद्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा, उप्र.
प्रो. मोहसिन खान, विभागाध्यक्ष
शासकीय महाविद्यालय, रायगढ़, महाराष्ट्र
डॉ. दिग्विजय शर्मा, सहायक प्राध्यापक
केंद्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा, उप्र.
डॉ. भेरूलाल मालवीय, सहायक प्राध्यापक
शा. नवीन महाविद्यालय, शाजापुर, मप्र.
डॉ. उपेन्द्र भार्गव, सहायक प्राध्यापक
महर्षि पाणिनि विश्वविद्यालय, उज्जैन, मप्र.
डॉ. रूपाली सारये, सहा.प्राध्यापक
भाषा विभाग, देवी अहिल्या वि.वि., इंदौर
डॉ. अवनीश कुमार अस्थाना, एसो. प्रोफेसर,
डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम वि.वि, इंदौर, मप्र.
डॉ. पराक्रम सिंह, के.हि.सं., दिल्ली

International Editorial Board

Dr. I Made Dian Saputra, S.S., M.Si
Vice director of the Postgraduate program of UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

Dr. I Gusti Ngurah Agung Wijaya Mahardika, S. Pd.
HoD, English Language Education Department

Dr. I Ketut Arta Widana, S.S., M. Par.
Lecturer of Tourism Department

Dr. I Dewa Ayu Hendrawathi Putri
HoD, Masters in Communication Science

विशेषज्ञ समिति

डॉ. सुरेशचन्द्र शुक्ल 'शरद आलोक' (नार्वे), श्री शेर बहादुर सिंह (यूएसए), डॉ. रामदेव धुरंधर (मॉरीशस), डॉ. स्नेह ठाकुर (कनाडा) डॉ. जय वर्मा (यू.के.), प्रो. गुणशेखर गंगाप्रसाद शर्मा (चीन), डॉ. अलका धनपत (मॉरीशस), प्रो. टी. जी. प्रभाशंकर प्रेमी (बैंगलुरू), प्रो. अब्दुल अलीम (अलीगढ़), डॉ. सोहेल मो. यूसूफ (ओमान), डॉ. रवि शर्मा (दिल्ली),डॉ. सुधीर सोनी (जयपुर), डॉ. अनिल सिंह (मुंबई), डॉ. तुलसीदास परौहा,

सह संपादक

डॉ. मधुकांता समाधिया (उत्तर प्रदेश), डॉ. अनिल जूनवाल (मप्र), डॉ. प्रणु शुक्ला (राजस्थान), डॉ. गोविंद नंदाणिया (गुजरात), डॉ. रत्ना कुशवाह, (अंडमान निकोबाद), प्रो. डॉ. किरण खन्ना (अमृतसर, पंजाब)

विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन, मप्र. से शोध, प्रकाशन, सेमीनार, संगोष्ठी, अवार्ड आदि के लिए अक्षर वार्ता अंतरराष्ट्रीय शोध पत्रिका एवं संस्था कृष्ण बसंती शैक्षणिक एवं सामाजिक जनकल्याण समिति, उज्जैन, मप्र. एम ओ यू हस्ताक्षरित।

नोट :- अक्षरवार्ता में सभी पद मानद व अवैतनिक है।/ शोध पत्रिका में प्रकाशित सभी लेखों में लेखकों के अपने विचार है, संपादक मंडल का इससे सहमत होना आवश्यक नही हैं।

कला-मानविकी-समाजविज्ञान-जनसंचार-वाणिज्य-विज्ञान-वैचारिकी की अंतरराष्ट्रीय रेफर्ड एवं पियर रिव्यूड शोध पत्रिका
Aksharwarta is a Monthly International, Refereed & Peer Reviewed Journal
ISSN 2349 - 7521 , IMPACT FACTOR - 9.0
https://doi.org/10.5281/zenodo.15879136
Indexed In International, Impact Factor Services (IIFS) Database and Indexed with IIJIF
Indexed In the International, Institute of Organized Research, (I2OR) Database
AKSHARWARTA IS registered MSME with Ministry of MSME, Government of India
MSME Reg. No. UDYAM-MP-49-0005021
» aksharwartajournal@gmail.com » https://www.aksharwartajournal.page/ » +918989547427

Peer Review Board/Committee

1. Dr. Anamika Dwivedi, Associate Professor, Hindi, A.K.P (PG) College, Khurja, U.P.
2. Dr. Deepshikha, Assistant Professor, Sanskrit Manyawar Kanshiram Rajkiya Mahavidhyalaya, Gabhana, Aligadh, U.P.
3. Dr. Roshni, Guest Feculty, Hindi Maharana Pratap Govt. PG College, Gadawara, Narsinghpur, M.P.
4. Dr. Rashmi (Raikumar), Assistant Professor, English, Y.B.N. University, Namkum, Ranchi, Jharkhand
5. Dr. Arun Kumar Singh, Associate Professor DAV PG College, Azamgadh, U.P.
6. Dr. Neetu Tiwari, Professor M.B. Khalsa Law College, Indore, M.P.
7. Dr. Santosh Patidar, Lecturer Chameli Devi Institute of Law, Indore, M.P.
8. Dr. Sanjay Kumar, HoD, English Department Y. B. N. University, Ranchi, Jharkhand
9. Dr. Krishna Raj SIngh, Assistant Professor Shrimati Gomati devi bind PG College, Prayagraj, U.P.
11. Dr. Meenu Shukla, Assistant Professor Navsamvat Law College, Ujjain, M.P.
12. Dr. Soniya Rani, Associate Professor Y. B. N. University, Ranchi, Jharkhand
13. Dr. Shahanaj Mahemudsha Sayyad, Associate Professor Balwant College, Vita, Distt - Sangli, Maharashtra
14. Dr. Umesh kumar Sharma, Assistant Professor, Hindi Department Shri Radha Krishna Goenka college, Sitamarhi (Bihar)
15. Dr. Dinesh Ram, Assistant Teacher LT Hindi Govt H. S.S, Kalakot, Uttarakhand
16. Dr. Nilamadhab Pradhan, Assistant Professor (Guest), Department of Sanskrit Rama Devi Women's University, Bhoi Nagar, Bhubaneswar, Odisha
17. Dr. Manju, Assistant Professor Govt. College, Kishangarh Renwal, Jaipur, Rajasthan
18. Dr. Manju Chouhan, Assistant Professor, Sanskrit, Govt. Girls College Shri Kolayat, Bikaner, Rajasthan
19. Dr. Priyanka Bhatewara Jain, Assistant Professor, (Guest Feculty) Govt. College, Manawar, Dhar, M.P.
20. Dr. Brajesh Kher, Ex. Assistant Professor Bhartiya College, Ujjain, M.P.
21. Dr. ShriKant Mishra,Assistant Professor Govt. Maharaja Martand College, Kotma, Distt-Anuppur, M.P.
22. Dr. Babita Yadav, Assistant Professor, HoD of Art's Department Navsamvat Law College, Ujjain, M.P.
23. Dr. Preeti, Assistant Professor, Hindi Department, Motihari Degree Evening College, Muzaffarpur
24. Dr. Rita Kumari, Assistant Professor Kishori Sinha Mahila College, Aurangabad, Bihar
25. Dr. Shaileshkumar Chhatrasingh Chaudhari, Teacher, Genius Educational Academy (CBSE) School, Mohani Village, Surat, Gujrat
26. Dr. Poonam Pandey, Ex. Research Scholar, English,Dr. Rammanohar Lohia avadh University, Faizabad Ayodhya, U.P
27. Dr. Bhavna Singh Assistant Professor, Dept. of Teacher Education Shaheed Mangal Pandey Govt. Girls Post Graduate College, Meerut, U.P.

शोध आलेख प्रकाशन संबंधी नियम

शोध आलेख 2000 से 3000 शब्दों का होकर यूनिकोड मंगल अथवा कृतिदेव 10 में 12 के फॉन्ट साइज में ही भेजें। शोध आलेख एपीए एमएलए फार्मेट में होना आवश्यक होकर फुटनोट व रिफ्रेंसेस के साथ भेजना आवश्यक है। अंग्रेजी माध्यम के शोध-पत्र टाईम्स न्यु रोमन (Times New Roman) ,एरियल फोंट (Arial) में टाईप करवाकर माईक्रोसॉफ्ट वर्ड में अधिकतम 2000 की शब्द संख्या के साथ अक्षरवार्ता के ईमेल पर भेजने के बाद हार्ड कॉपी तथा शोध-पत्र मौलिक होने के घोषणा-पत्र के साथ हस्ताक्षर कर अक्षरवार्ता के कार्यालय को प्रेषित करें। शोध आलेख का प्रकाशन रिव्यू कमेटी द्वारा अनुसंशा के आधार पर किया जावेगा।

पुस्तकों से संदर्भ देने के लिए क्रम

लेखक का अंतिम नाम (सरनेम), पहला नाम; पुस्तक का शीर्षक (इटैलिक्स में; प्रकाशक का नाम और पूरा पता (प्रकाशन का वर्ष) कोष्ठक में; पृष्ठ संख्या ....।

द्विवेदी,हजारी प्रसाद, कबीर, नई दिल्ली, राजकमल प्रकाशन, चौदहवीं आवृति, 2014, पृ. 108

पत्रिकाओं के संदर्भ

लेखक का अंतिम नाम (सरनेम), पहला नाम। लेख का शीर्षक। जर्नल का शीर्षक/नाम (इटैलिक्स में)। वॉल्यूम। संस्करण (महिना, वर्ष) : पृष्ठ संख्या। प्रकाशन मीडिया।

वेबसाइट के उद्धरण का प्रारूप

लेखक का अंतिम नाम (सरनेम), पहला नाम। ''पृष्ठ का शीर्षक।''
क्षेत्र शीर्षक। (साईट) प्रकाशित करने वाली कंपनी। (युआरएल) तथा सर्च डेट (अभिगमन तिथि)।
पुस्तक, पत्रिका, आवधिक, वेबसाइट आदि) के शीर्षक को इटैलिक में लिखें।
शोध आलेख के साथ प्लेगरिज़्म रिपोर्ट / स्व घोषणा पत्र (आलेख की मौलिकता व अप्रकाशित होने के संदर्भ में) अवश्य भेजें।
आलेख की वर्ड और पीडीएफ दोनों फाइल् अनिवार्य रूप से भेजें।
शोध आलेख प्रत्येक माह की 7 तारीख तक आगामी माह के अंक के लिए स्वीकार्य होंगे।
शोध आलेख का प्रकाशन रिव्यू कमेटी द्वारा अनुसंशा के आधार पर किया जावेगा।

I/ We wish to subscribe the Journals. Total Amount : 3000/- (Three Thousand only)(INR), (Normal Post) and/or 3600/- (Thirty six Hundred) for (Registerd Post) Registration Fee. All fee and Subscriptions are payable in advance and all rates include postage and taxes. Subscribers are requested to send payment with their order whenever possible. Issues will be sent on receipt of payment. Subscriptions are entered on an annual basis and are subject to renewal in subsequent years.

Subscription from:.....to.....SUBSCRIBER TYPE:(Check One) Institution( )/Personal ()Date:.....Name/Institution and Address :.....City : .....State :.....PinCode..... Country ..... PhoneNo .:..... MobNo.:..... Mail id.....

PAYMENT OPTION:

DD in the favor of "AKSHARWARTA" payable at UJJAIN.

DD No.: .....Dated : .....for Rupees (in words) .....Drawn on .....Any other option Specify :.....

शोध-पत्र भेजने संबंधी नियम

शोध-पत्र 2000-3000 शब्दों से अधिक नही होना चाहिये। ०. हिन्दी माध्यम के शोध पत्रों को कृतिदेव 010 (**Kruti Dev 010**) या युनिकोड मंगल फोंट में टाईप करवाकर माईक्रोसॉफ्ट वर्ड में भेजें। ०. अंग्रेजी माध्यम के शोध-पत्र टाईम्स न्यु रोमन (**Times New Roman**) ,एरियल फोंट (**Arial**) में टाईप करवाकर माईक्रोसॉफ्ट वर्ड में अक्षरवार्ता के ईमेल पर भेजने के बाद हार्ड कॉपी तथा शोध-पत्र मौलिक होने के घोषणा-पत्र के साथ हस्ताक्षर कर अक्षरवार्ता के कार्यालय को प्रेषित करें। ०. **Please Follow- APA/MLA Style for formatting** अक्षरवार्ता का वार्षिक सदस्यता शुल्क रूपये 3000/-रूपये साधारण डाक से एवं 3600/- रूपये रजिस्टर्ड डाक से एवं प्रकाशन पंजीयन शुल्क रूपये 2000/- का भुगतान बैंक द्वारा सीधे ट्रांसफर या जमा किया जा सकता है।

बैंक विवरण निम्नानुसार है-

Union Bank of India,

Account Holder- Aksharwarta
Current A/c. No- 510101003522430
IFSC- UBIN0907626
Branch- Rishi Nagar, Ujjain, MP, India

UPI
Phone Pay,
Google Pay
PayTM, BHIM
9424014366

गुगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम आदि युपीआई से भुगतान के लिए मोबाईल नं. 9424014366 का अथवा स्केनर का उपयोग करें तथा भुगतान की मूल रसीद,शोध-पत्र एवं सीडी के साथ कार्यालय के पते पर भेजना अनिवार्य है।

संपादकीय

देवता हिंदू पवित्र ग्रंथों की एक प्रमुख विशेषता हैं। वैदिक ग्रंथों में अनेक तथाकथित देवी-देवताओं (देवों और देवियों) का वर्णन है, जो अग्नि, वायु, सूर्य, उषा, अंधकार, पृथ्वी आदि के माध्यम से विभिन्न ब्रह्मांडीय शक्तियों का मूर्त रूप हैं। इस बात का कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि इन वैदिक देवताओं की पूजा प्रतिमाओं द्वारा की जाती थी; बल्कि, इन्हें यज्ञ के माध्यम से बुलाया जाता था, जिसमें अग्नि देवता सामान्यतः मध्यस्थ के रूप में कार्य करते थे, ताकि पृथ्वी पर अपने याचकों को श्रद्धा और अनुष्ठानिक भेंट के बदले में विभिन्न वरदान प्रदान किए जा सकें। कुछ वैदिक ग्रंथ एक ऐसे ईश्वर की चर्चा करते हैं जो इन देवों और देवियों की बहुलता को उनके आधार और मूल के रूप में स्थापित करता प्रतीत होता है। कालांतर में, उपनिषदों में, इस एक (ब्रह्म) की कल्पना या तो हमारे संसार में सभी परिवर्तनों और भिन्नताओं के पारलौकिक, अति-व्यक्तिगत स्रोत के रूप में की गई, जो अंततः उसी एक में विलीन हो जाएगा, या फिर सर्वोच्च, साकार ईश्वर (ईश्वर) के रूप में, जो सभी सीमित सत्ताओं का आधार और लक्ष्य था। दोनों ही अवधारणाओं में, हमारे पास एक पारलौकिक वास्तविकता की आगामी धारणाओं का आधार है, जो ध्यान और/या प्रार्थना एवं उपासना द्वारा मनुष्यों के लिए सुलभ है। सामान्य युग के आरंभ में रचित भगवद् गीता में ही हमें कृष्ण नामक एक साकार ईश्वर में भक्तिमय आस्था के बारे में विकसित सोच के स्थायी शाब्दिक प्रमाण पहली बार मिलते हैं। इस ग्रन्थ में, कृष्ण अपने मित्र और शिष्य, अर्जुन को अपने दिव्य स्वरूप और संसार के साथ संबंध के बारे में, और यह बताते हैं कि कैसे एक समर्पित आत्मा उनके साथ प्रेमपूर्ण संवाद के माध्यम से जीवन के दुखों और सीमाओं से मुक्ति (मोक्ष) प्राप्त कर सकती है। यहीं, हिंदू धर्म में पहली बार, हमारा सामना अवतार (जिसे अंग्रेजी में अवतार कहा जाता है) के सिद्धांत से होता है, जो सिखाता है कि परम पुरुष समय-समय पर देहधारी रूप में संसार में अवतरित होते हैं, गीता के अनुसार, धर्म की पुनर्स्थापना, सज्जनों की रक्षा और दुष्टों का विनाश करने के लिए। अनेक अवतारों का सिद्धांत, उनके विशिष्ट उद्देश्यों के साथ, सदियों के दौरान विभिन्न पवित्र ग्रंथों, जैसे कि पुराणों में विकसित हुआ।

गीता की रचना के लगभग उसी समय, श्वेताश्वतर उपनिषद शिव (जिन्हें शिव भी लिखा जाता है), जिन्हें रुद्र भी कहा जाता है, की भक्ति का समर्थन करता है, जो उस परम सत्ता के रूप में हैं जो अपने भक्तों को अस्तित्व के बंधन (पाश) से मुक्त कर उनके साथ गहन एकता की अवस्था में ले जाते हैं। गीता और श्वेताश्वतर उपनिषद, दोनों ही मोक्ष के साधन के रूप में अनुशासित भक्ति (भक्ति) के एक रूप की घोषणा करते हैं , और लगभग पाँचवीं शताब्दी तक महान देव (महादेवी) के प्रति उद्धारक भक्ति का धर्मशास्त्र देवी महात्म्य में प्रकट नहीं हुआ था। अधिकांश हिंदुओं की भक्ति आस्था के अनुरूप, इन तीनों देवताओं, विष्णु (जिसे विष्णु भी लिखा जाता है), शिव और देवी, को किसी न किसी वैकल्पिक नाम से, आस्तिक हिंदू धर्म की एक विशिष्ट धारा का नेतृत्व करते देखा जा सकता है, जो अन्य दो के साथ जटिल तरीकों से परस्पर जुड़ी हुई है। इस अंतर्संबंधित सूत्र के संदर्भ में, अधिकांश हिंदुओं में एक सर्वोच्च देवता में आस्था के माध्यम से धार्मिक जुड़ाव की दृढ़ भावना होगी, जिसे अनुशासित विश्वास और अभ्यास की एक प्रणाली के माध्यम से समझा, समझा और पूजा जा सकता है।

हिंदुओं द्वारा अपने इच्छित देवता (इष्टदेवता) के प्रति अपनाए जाने वाले विशिष्ट तरीके को समझना महत्वपूर्ण है, जो आमतौर पर घरेलू या सामुदायिक पूजा की एक पारंपरिक विशेषता है, और उनके धार्मिक जीवन का केंद्र है। यह देवता, चाहे वह शिव, विष्णु या देवी का कोई रूप हो, सामान्य रूप से कई रूपों (रूप) के माध्यम से प्रकट हो सकता है। महान देवी की पूजा की बात करते समय, कालिका पुराण (14वीं शताब्दी) सुविधाजनक रूप से चुने हुए देवता और उसके विभिन्न रूपों के बीच के संबंध का मॉडल देता है-जैसे सूर्य की किरणें सूर्य के डिस्क से निरंतर निकलती रहती हैं, वैसे ही देवी के शरीर से निकलते हैं। यह विचार अंतर्निहित एक के वैदिक धारणा का एक वैचारिक विकास प्रतीत होता है जो अनेक में और अनेक के माध्यम से प्रकट होता है-अंततः, केवल एक ही सर्वोच्च स्रोत है जो सूर्य की किरणों की तरह वैकल्पिक रूपों में प्रकट हो सकता है हम इसे शब्द के सामान्य अर्थ में बहुदेववाद नहीं कह सकते; बल्कि यह एक विशिष्ट प्रकार का बहुरूपी एकेश्वरवाद है, अर्थात् एक ही देवता के अनेक रूपों में अंतर्निहित एकेश्वरवाद – यह सम्पूर्ण संबंधात्मक जाल कार्यरत हिंदू बहुकेंद्रवाद का एक प्रमुख उदाहरण है। स्थायी मंदिर निर्माण और उसमें देवता की मूर्ति-पूजा के निहितार्थ का पहला पुरातात्विक साक्ष्य हमें लगभग तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में मिलता है ङ्क एक विष्णु मंदिर (पूर्वी राजस्थान में) और उसके पास ही एक शिव मंदिर। संभवतः, चूँकि ये मिट्टी, लकड़ी, ईंट, पत्थर आदि से निर्मित थे, इसलिए मंदिर निर्माण की प्रक्रिया काफ़ी पहले शुरू हो गई थी, हालाँकि हम ठीक-ठीक नहीं कह सकते कि यह कब और कहाँ हुआ। हम पाठ्य और पुरातात्विक साक्ष्यों से यह भी अनुमान लगा सकते हैं कि हिंदू धर्म में मूर्ति-पूजा लगभग छठी से पाँचवीं शताब्दी ईसा पूर्व तक मौजूद थी। आम तौर पर यह माना जाता है (हालाँकि किसी बाहरी आर्य आक्रमण के विरुद्ध प्रमाण बढ़ते जा रहे हैं) कि प्राचीन आर्यों के रूप में जाने जाने वाले लोगों ने मूल रूप से उपमहाद्वीप के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्रों में सिंधु सभ्यता नामक एक उन्नत सभ्यता को विस्थापित किया था। इस सभ्यता से संबंधित ईंटों की संरचनाओं के प्रमाण मिले हैं, जो धार्मिक उद्देश्य का संकेत देते हैं और टेराकोटा और सोपस्टोन जैसी ठोस सामग्री से बनी छोटी-छोटी आकृतियों के भी प्रमाण मिले हैं। हालाँकि, चूँकि सिंधु सभ्यता की लिपि की व्याख्या कैसे की जाए, इस पर कोई सहमति नहीं है, इसलिए हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि ये वास्तव में धार्मिक महत्व की आकृतियाँ थीं, और इस प्रकार बाद की हिंदू प्रतिमाओं के निर्माण पर इनका प्रभाव पड़ा।

अनुक्रम

» संत कबीर और स्वामी रामचरण की प्रेमानुभूति : एक तुलनात्मक अध्ययन
डॉ. महेश चन्द्र तिवारी 08

» स्त्री पुरूष संबंधों का बदलता स्वरूप और ज्ञानरंजन की कहानियां
राकेश कुमार, डॉ. अंजन कुमार 11

» हिन्दी समृद्ध कहावत/लोकोक्ति संसार और डॉ. शरद
डॉ. मनुप्रताप 13

» कालीचरण 'स्नेही' के काव्य में दलित साहित्य की अवधारणा एवं स्वरूप
वीर पाल, डॉ. मनुप्रताप 16

» हिंद महासागर में भारत की समुद्री मुद्रा का रणनीतिक पुनर्संरेखण : उभरते खतरे, क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में बदलाव और सुरक्षा की अनिवार्यताएँ
डॉ. अरविंद कुमार 18

» ईशोपनिषद और भगवद्गीता : वैचारिक साम्यता और भिन्नता
डॉ. जितेन्द्र कुमार द्विवेदी 23

» विवेकी राय के 'मंगल भवन' उपन्यास में अभिव्यक्त विभिन्न समस्याएँ
प्रो. राजेश तिवारी, आशीष यादव 28

» अमृतलाल नागर के उपन्यासों की वैचारिकता में यथार्थबोध
प्रो. दया दीक्षित, इन्द्रमणि चौरसिया 34

» प्रगतिवादी आलोचना के परिप्रेक्ष्य में मुक्तिबोध का भक्तिकाव्य संबंधी चिंतन
प्रतिष्ठा शर्मा, आशीष पाण्डेय 39

» नगरीकरण से आशय एवं इसके आधारभूत तत्व
डॉ. अनुपमा गोदारा 43

» प्राचीन भारत में भू-स्वामित्व एवं भूमिदान एक अध्ययन
डॉ. दिग्विजय यादव 46

» भारत-पाक संबंध : पहलगाम आतंकी घटना के विशेष परिप्रेक्ष्य में
डॉ. ऋषि कुमार चन्द्रा 48

» गांधी और हिंदी पत्रकारिता
डॉ. सुविज्ञा प्रशील 52

» छत्तीसगढ़ की जनजातियों में आस्था एवं जीवन
डॉ. रामेश्वरी दास 54

» शंकर शेष के नाटकों में दिव्यांग स्त्री पात्र : संघर्ष, संवेदना और अस्तित्व की तलाश
सत्यभामा राधेश्याम तिवारी,
प्रो. डॉ. श्यामप्रकाश पाण्डे 57

» शेखर जोशी की कहानियों में संवेदना के स्वर
राजबाला सैनी, डॉ. बीरेन्द्र कुमार शर्मा 60

» सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला' के काव्य में प्रकृति
डॉ. वंदना 62

» कृष्णा सोबती के साहित्य में वैश्वीकरण का प्रभाव
मासूम वर्मा 65

» बिदरी पूजा/बिदरी पूजीकियाना (गोण्डी लोकगीतों में लोक संस्कृति के संदर्भ में)
गणेश कुमार तुमड़ाम, डॉ. वर्षा खुराना 67

» प्राचीन भारतीय जीवन शैली तथा पर्यावरण संरक्षण परम्पराएं
श्री मनीष अखावत, श्रीमती कृष्णा देवल 69

» भारत-विभाजन की त्रासदी और मोहन राकेश की कहानियाँ
अशोक क्रान्ति 71

» भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक विवेचना
डॉ. दिनेश गुप्ता 75

» 'कुइयांजान' उपन्यास में अभिव्यक्ति जल की स्थिति : चुनौतियां एवं संभावनाएं
डॉ. पूजा 78

» ग्रामीण क्षेत्रों के भोजन में पोषक तत्व
डॉ. मो. इरशाद आलम 81

» ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण में उद्यमिता का प्रभाव-पिथौरागढ़ जिले पर केंद्रित एक अध्ययन
प्रकाश चंद्र भट्ट 86

» हिन्दी साहित्य में प्रवासी भारतीय
मंजु 90

» उपन्यासों में वर्णित विकलांग युवकों के प्रति सकलांग युवतियों का प्रेम व समर्पण
लता, डॉ. सविता मिश्रा 93

» वेश्यावृत्ति का कलंक और स्त्री जीवन की विडंबना : 'सलाम आखिरी' उपन्यास के परिप्रेक्ष्य में
सेल्मा पी एन 96

» समकालीन कलाकार अर्पणा कौर की नारीवाद से प्रेरित कलासृजन का सौन्दर्यात्मक अध्ययन
प्रीति कपरिया, डॉ. नीलम कान्त 99

» रेणु के जीवन एवं साहित्य का राजनीतिक संघर्ष
डॉ. संध्या कुमारी 103

» रिपोर्ताज साहित्य में संवेदना के विविध आयाम
पूनम बघेल 106

» बंदिता फुकन के उपन्यासों में चित्रित बाल्यजीवन का सांस्कृतिक पक्ष
ऋचा चमुआ, कुसुम कुंज मालाकार 108

» मानस के नीति-निर्झर का सिंहावलोकन
जुगल किशोर साध, डॉ. सुरेश कड़वासरा 112

» प्रवासी भारतीयों की नज़र से वैश्विक सामाजिक, संस्कृति की समझ पैदा करते धर्मवीर भारती के यात्रा आख्यान
दिगंबर सिंह, डॉ. रंजना पांडेय 116

» 'कृष्ण के मैत्री-संबंध का आधुनिक परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन'
सुमन कर, प्रो. पी. राजरत्नम 121
» 'हिंदी साहित्य का आधा इतिहास' और साहित्येतिहास का आधा-अधूरापन
चौधरी बाल्मिकि शर्मा
आचार्य एस. वी. एस. एस. नारायण राजू 124
» "श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों में व्यंग्य विधान"
विकास सिंह 127
» कबीरदास - लोकोन्मुखी भक्ति भावना
डॉ. हेमचंद्र दुबे 130
» भारत में अध्यापक शिक्षा का विकास
डॉ. अनामिका कुमारी 133
» शंकरशेष कृत एक और द्रोणाचार्य नाटक : समकालीन घटनाओं का दस्तावेज
मिथिला पी नायर 136
» हरिशंकर परसाई के व्यंग्य साहित्य की प्रासंगिकता
डॉ. अजीत कुमार दास 139
» भूमंडलीकरण बनाम बाजारवाद का सामाजिक विमर्श और हिन्दी उपन्यास में वृद्ध-जीवन (विशेष सन्दर्भ : 'दौड़', 'गिलिगडु', 'समय-सरगम')
पूजा यादव 142
» सामाजिक और आर्थिक रूप में अरूपा पतंगिया कलिता के कहानी में नारी का स्थान ('मंदिर' और 'जुनाकोट जुनाकी' कहानियों के विशेष संदर्भ में)
श्री श्रोवोर्ना बरकाकति
डॉ. कुसुम कुंज मालाकार 145
» उपन्यासकार उषाकिरण खान : आरंभ और उनकी रचना दृष्टि
करूणा भारती, प्रो. सुनीता गुप्ता 148
» भारतीय ज्ञान परम्परा और भूगोल
डॉ. गरिमा कुशवाह, डॉ. रामनरेश दिहुलिया 151
» कुचामणी ख्यालों के संरक्षण में संस्थाओं का योगदान
राम कुमार 156
» विकसीत भारत @2047 को साकार करने में उच्च शिक्षा की भूमिका
डॉ. वर प्रसाद वासाला 160
» दक्षिण भारत स्थित बैंकों में राजभाषा हिंदी : दशा और दिशा
श्रीएम. संजीवी कनी, डॉ. पूर्णिमा श्रीनिवासन 162
» छत्तीसगढ़ के आदिवासी लोकगीत एवं लोक नृत्य
मनीषा खरे, डॉ. सविता मिश्रा 165
» पूरन हार्डी की 'बुड़ान' कहानी में अभिव्यक्त वैविध्यपूर्ण ग्रामीण जीवन का विश्लेषण
जितेन्द्र 169
» अनुवाद विज्ञान और मशीनी अनुवाद : सांस्कृतिक, भाषिक एवं तकनीकी विश्लेषण
प्रतीक सिंह 172
» सुषम वेदी की कथा साहित्य में स्त्री संवेदना
डॉ. नूरजहाँ रहमातुल्लाह 176
» श्रीमती कमला राठौड़ का संगीत के क्षेत्र में योगदान
पुष्पा 178
» कृत्रिम बुद्धिमत्ता और हिंदी का भविष्य
डॉ. संध्या सिन्हा 180
» ग्राम पंचायतों में महिला आरक्षण की प्रासंगिकता वर्तमान संदर्भ में
पुरूषोत्तम कुमार साहू, डॉ. मालती तिवारी 183
» हिन्दी उपन्यास और भारतीय किसान
श्रीमती स्नेहलता खलखो,
डॉ. उमेश कुमार पाण्डेय 186
» Joyce Cary and the Evolution of Modern Literature
Dr. Damini Singh 188
» Startup - A New Engine of Employment
Suman Meena 190
» Positive and Negative Effects of Social Networking Sites on Students
Rashmi Kuwal 194
» Imagination and Code : The Confluence of art and Technology
Radhey Shyam, Amit Kalla 197
» Khadeen, Water Harvesting System of Jaisalmer (15th to 17th Century) : A Historical and Technological Survey
Dr. Garima Chaudhary 200
» Strengthening Health System through Ayushman Bharat PM-JAY : A Critical Review of COVID-19 Response in Uttar Pradesh
Rakesh Thakur
Dr. Priti Verma 203

अक्षर वार्ता अंतरराष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका
ISSN 2349-7521, Impact Factor - 9.0
Vol - XXI, Issue - X, August - 2025

"AKSHARWARTA" Monthly International Refereed Journal
MSME Reg. No. UDYAM-MP-49-0005021
https://doi.org/10.5281/zenodo.15879136

दक्षिण भारत स्थित बैंकों में राजभाषा हिंदी : दशा और दिशा

श्री एम. संजीवी कनी
डॉ. पूर्णिमा श्रीनिवासन

1. शोधार्थी, वेल्स इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड एडवांस्ड स्टडीज, चैन्नई
2. शोध निर्देशक, सहायक आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, हिंदी विभाग, वेल्स इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड एडवांस्ड स्टडीज, चैन्नई

शोधसार :–राजभाषा, किसी राष्ट्र या राज्य द्वारा अपने कामकाज हेतु विनिर्दिष्ट भाषा है, जिसे समस्त सरकारी कार्य में उपयोग किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 (1) के अंतर्गत देवनागरी लिपि में लिखी गई 'हिंदी' संघ की राजभाषा है। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया। वर्ष 1969 में किए गए बैंकों के राष्ट्रीयकरण के साथ–साथ सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में राजभाषा कार्यान्वयन सांविधिक अपेक्षा बनी। दक्षिण भारत स्थित सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में राजभाषा हिंदी में कार्य किए जाते हैं। हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान नहीं रखने वाले कर्मचारियों को हिंदी शिक्षण योजना के तहत प्रशिक्षित किया जाता है। बैंकों का मुख्य उद्देश्य, अपने उत्पादों और सरकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाते हुए कारोबार में अपना लाभ बढाना है जिसमें राजभाषा हिंदी अपनी अहम भूमिका निभाती है। दक्षिण भारत में अपने ग्राहकों से जुड़ने के लिए बैंक के सभी साइनबोर्ड, नामपट्ट, मुहर, मानक प्रपत्र, आवेदन प्रारूप, वेबसाइट, ब्रोशर एवं पत्रादि अपेक्षानुसार द्विभाषी / त्रिभाषी हैं। वैश्वीकरण एवं उद्योगीकरण के चलते दक्षिण भारत में हिंदी बोलने एवं समझने वाले ग्राहकों की बढ़ती संख्या के मद्देनज़र यहां के बैंकों में राजभाषा हिंदी का प्रयोग बढ़ रहा है। अधिकतम बैंकिंग सुविधाएं ग्राहकों की अपेक्षानुसार उनकी स्वैच्छिक भाषा में प्रदान करते हुए दक्षिण भारत के बैंकों का कारोबार एवं मुनाफा बढ़ता है।

बीज शब्द :–कार्यान्वयन, राष्ट्रीयकरण, सांविधिक प्रावधान, कार्यसाधक ज्ञान, प्रोत्साहन योजनाएं, वित्तीय साक्षरता, वित्तीय समावेशन।

प्रस्तावना :–भारत विविधता में एकता के साथ अपनी संस्कृति एवं अतिथि सम्मान के लिए विशिष्ट देश है। संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। हिंदी भारत की राजभाषा एवं संपर्क भाषा के रूप में देश भर बोली एवं समझी जानेवाली भाषा है। 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान ने सर्व–सम्मति से राजभाषा के रूप में हिंदी को अंगीकृत किया। संविधान के अनुच्छेद 351 के अनुसार राजभाषा यानी सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने एवं अन्य भारतीय भाषाओं के उसके विकास करने का दायित्व केंद्र सरकार को दिया गया। इसके लिए संघ को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हिंदी भारत के विविध सांस्कृतिक तत्वों के लिए अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। तदनुसार भारत सरकार ने वर्ष 1963 में राजभाषा अधिनियम पारित किया और वर्ष 1976 में राजभाषा नियम बनाए। इसके परिणामस्वरूव देश के सभी सरकारी कार्यालयों, उपक्रम एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों में राजभाषा हिंदी के अधिकतम प्रयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसी क्रम में राजभाषा हिंदी पल्लवित–पुष्पित होकर आज न केवल देश–भर बल्कि विश्वपटल में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाया।

दक्षिण भारत स्थित बैंकों में राजभाषा कार्यान्वयन :–बैंक आम जनता से जमाराशियां स्वीकृत करते हुए देश की अर्थव्यवस्था में प्रगति हेतु उद्योगों / व्यक्तियों को ऋण मंजूर करता है। साथ ही सरकार की समाज कल्याण योजनाओं को आम जनता एवं उपयुक्त लाभार्थियों तक पहुंचाने में अपना योगदान करता है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1969 में कुल 14 बैंकों और वर्ष 1980 में अन्य 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के साथ–साथ राजभाषा हिंदी कार्यान्वयन से संबिंधित सभी सांविधिक प्रावधान, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर लागू हुए। दक्षिण भारत के राज्य यथा तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्रप्रदेश स्थित सार्वजनिक बैंकों में राजभाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग किया जाता है। राजभाषा नियम, 1976 के अधीन, राजभाषा कार्यान्वयन के उद्देश्य से हिंदी भाषी राज्यों को क्षेत्र 'क', पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र एवं चण्डीगढ़ को क्षेत्र 'ख' तथा अन्य राज्यों एवं दक्षिण भारत स्थित इन राज्यों को क्षेत्र 'ग' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। हिंदीतर भाषी प्रदेशों को 'ग' क्षेत्र, हिंदीतर भाषी प्रदेश जहाँ राज्य सरकार द्वारा अपने क्षेत्रीय भाषा के साथ–साथ हिंदी को भी राजभाषा के रूप में अंगीकृत किया गया उन्हें'ख' क्षेत्र के अधीन वर्गीकृत किया गया है।राजभाषा कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा प्रति वर्ष जारी वार्षिक कार्यक्रम के अधीन क्षेत्र 'ग' स्थित राज्यों को क्षेत्र 'क' और 'ख' की तुलना में कम लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इन बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी बैंकिंग सुविधाएं स्थानीय भाषा और राजभाषा में प्रदान करें। इसी उद्देश्य से आम जनता एवं ग्राहकों के लिए बैंकों में प्रदर्शित मुख्य साइनबोर्ड, नामपट्ट, नोटिस बोर्ड इत्यादि त्रिभाषी होते हैं, जिसका क्रम पहले स्थानीय भाषा, बाद में राजभाषा हिंदी और अंग्रेज़ी होता है। राजभाषा नियम 1976 के नियम 11 के अधीन बैंक में प्रयुक्त सभी लेखनसामग्री, खाता खोलने का प्रपत्र, पासबुक, रबड–स्टांप, लेजर एवं फाइल, परिपत्र, विज्ञापन आदि द्विभाषीयानी हिंदी और अंग्रेज़ी में होते हैं। बैंक में राजभाषा कार्यान्वयन को गति देने के उद्देश्य से सभी प्रशासनिक कार्यालयों में राजभाषा अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है।

राजभाषा कार्यान्वयन के संदर्भ में शिक्षण–प्रशिक्षण :–दक्षिण भारत स्थित बैंकों में नियुक्त अधिकतम कर्मचारीगण, आम तौर पर संबंधित राज्य में ही पले–पढे होंगे, जिन्होंने अपने स्कूल / कालेज में कुछ हद तक हिंदी सीखी है। बैंक में नियुक्ति के बाद उन्हें राजभाषा कार्यान्वयन की दृष्टि से हिंदी का

कार्यसाधक ज्ञान दिलाया जाता है ताकि वे बैंक के कामकाज राजभाषा हिंदी में करें। इसी उद्देश्य से भारत सरकार की हिंदी शिक्षण योजना के अधीन प्रबोध, प्रवीण तथा प्राज्ञ आदि पाठ्यक्रम के अधीन सेवाकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है। हिंदी न जानने वाले कर्मचारियों, जो स्कूल एवं कालेज में हिंदी न पढ़े उनको इन पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण होने पर मानदेय के रूप में एक-मुश्त राशि देते हुए प्रोत्साहित किया जाता है। बैंकों के ऐसे कार्यालय जिनमें 80त्न से अधिक कर्मचारी हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखते हैं, यानी स्कूल में दसवीं कक्षा तक हिंदी एक विषय के रूप में पढ़े अथवा बैंक में नियुक्ति के बाद हिंदी शिक्षण योजना द्वारा संचालित हिंदी प्राज्ञ परीक्षा उत्तीर्ण किए, उन बैंकों / कार्यालयों को अधिकाधिक कार्य हिंदी में करने हेतु भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है। हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर्मचारियों को हिंदी में प्रवीणता प्राप्त करने के लिए 'पारंगत' पाठ्यक्रम के अधीन प्रशिक्षित किया जाता है। हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारियों को राजभाषा नियम 10(4) के अधीन संपूर्ण कार्य हिंदी में करने के लिए कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर से व्यक्तिशः आदेश, यानी अपने डेस्क कार्य में शत प्रतिशत हिंदी का प्रयोग करने का निर्देश जारी किया जाता है। हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान / प्रवीणता प्राप्त कर्मचारियों को अपना कार्य हिंदी में करते समय होने वाले झिझक को दूर करने के उद्देश्य से, प्रति तिमाही हिंदी कार्यशाला आयोजित की जाती है जिसमें उन्हें बैंक का कार्य हिंदी में करने हेतु व्यवहारिक प्रशिक्षण दिलाया जाता है।

प्रोत्साहन योजनाएं:-बैंकों में न केवल हिंदी सीखने के लिए बल्कि हिंदी में कार्य करने के लिए भी विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं यथा प्रशंसा पत्र योजना, प्रतियोगिताओं में सहभागिता, मौलिक हिंदी पुस्तक लेखन के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना, विभागीय / कार्यालयीन स्तर पर उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन के लिए राजभाषा कीर्ति पुरस्कार योजना इत्यादि के अधीन पुरस्कृत एवं सम्मनित किया जाता है। प्रशंसा पत्र योजना के अधीन प्रत्येक वर्ष अपने कामकाज में अधिकतम हिंदी का प्रयोग करने वाले कर्मचारियों को कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर से प्रशंसा-पत्र और प्रोत्साहन के रूप में नकद राशि प्रदान की जाती है। ऐसे प्रशंसा-पत्र की प्रति संबंधित कर्मचारियों के सेवा-अभिलेख में रखी जाती है। राजभाषा हिंदी में कार्य करने हेतु सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के उद्देश्य से प्रति वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस / पखवाड़ा / माह के अवसर पर विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं जिनके विजेताओं को पुरस्कृत करते हुए सम्मानित किया जाता है। हिंदीतर भाषी कर्मचारियों को ऐसी प्रतियोगिताओं में सहभागिता के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रतियोगिताएं, पुरस्कार विजेताओं को हिंदी भाषी और हिंदीतर भाषी आदि दो अलग वर्गों में सम्मानित किया जाता है। बैंकिंग, आर्थिक एवं प्रबंधन इत्यादि विषयों पर मूल रूप से हिंदी संदर्भ-साहित्य की उपलब्धता को बढ़ावा देने के लिए मौलिक हिंदी पुस्तक लेखन योजना के अधीनरचनाकर्ताओं को पुरस्कृत करते हुए सम्मानित किया जाता है। राजभाषा हिंदी में कार्यनिष्पादन करने के लिए बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक तथा भारत सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के अधीन पुरस्कृत किया जाता है।

हिंदी में प्रकाशन:-बैंक के कर्मचारियों की रचना कौशल को प्रोत्साहित करने के लिए नियमित अंतराल पर आंतरिक हिंदी गृह-पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती हैं, जिसमें कर्मचारियों द्वारा हिंदी में लिखित लेख-आलेख, कविता, कहानी, यात्रा-वृत्तांत, चुटकुले, पुस्तक-समीक्षा इत्यादि प्रकाशित की जाती हैं। बैंकों द्वारा गृह-पत्रिकाओं के प्रकाशन का प्रमुख उद्देश्य है कर्मचारियों को बैंकिंग क्षेत्र के नवोन्मेषी संकल्पना संबंधी ज्ञान साझा करना, बैंक की अद्यतन गतिविधियों से अवगत कराना, उनकी सृजन-शक्ति एवं लेखन क्षमता को प्रेरित करना है। लेखक डॉ. माणिक मृगेश के अनुसार 'राजभाषा पत्रिकाएं अपने उद्देश्यों की पूर्ति करते हुए राजभाषा गतिविधियों तथा अप्रकाशित प्रतिभाओं को प्रकाश में लाते हुए राष्ट्र की सेवा में सतत रही हैं। आज राजभाषा पत्रकारिता राजभाषा की एक मुख्य प्रवृत्ति बनकर उभरी है।'[1] गृहपत्रिकाओं के स्वरूप के संबंध में, संसदीय राजभाषा समिति की नौवें खंड की रिपोर्ट में उल्लिखित है कि 'गृह पत्रिकाओं की सामग्री सूचनापरक होने के साथ-साथ लेखों की विषय सामग्री रोचक, तथ्यपरक, अद्यतन एवं उपयोगी होने के साथ-साथ भाषा सरल और सहज होती है। कई पत्रिकाएं अपने विभाग से संबंधित परिदृश्य को परिलक्षित करने में सफल है तो दूसरी पत्रिकाएं आज के समय से जुड़े सामान्य पहलुओं की जानकारी देती हैं।'[2] बैंकों द्वारा आंतरिक गृहपत्रिकाओं के अलावा अपने उत्पादों एवं सेवाओं से संबंधित विवरण प्रदान करने वाले ब्रोशर, पैम्फलेट, वित्तीय जागरूकता सामग्री इत्यादि का भी प्रकाशन किया जाता है जो कि अपेक्षानुरूप स्थानीय भाषा, हिंदी और अंग्रेज़ी में प्रकाशित किए जाते हैं। दक्षिण भारत स्थित अनेक बैंकों द्वारा अपने कर्मचारियों को राजभाषा हिंदी में कार्य करने हेतु विभिन्न सहायक सामग्री जैसे नोटिंग सहायिका, राजभाषा दिशानिर्देश, मानक हिंदी / द्विभाषी पत्रों का संकलन, आम तौर पर बैंक के कामकाज में प्रयुक्त शब्दावली भी प्रकाशित किए जाते हैं। बैंक सेवा के दौरान स्थानांतरण पर आए कर्मचारियों के लाभार्थ, स्थानीय भाषा सीखें विषय पर भी पुस्तिकाएं प्रकाशित की जाती हैं।

सामूहिक मंच - नराकास (टोलिक):-भारत सरकार के निदेशानुसार दक्षिण भारत के प्रत्येक ऐसे शहर जहां दस से अधिक सरकारी कार्यालय होते हैं इन शहरों में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित की गई है। इसी क्रम में शहर के बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और बीमा कंपनियों के लिए अलग से बैंक नराकास, यानी विशेष रूप से बैंकों की नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति भी गठित की गई हैं। नगर के प्रमुख बैंक के वरिष्ठतम उच्च अधिकारी की अध्यक्षता में गठित इस समिति की बैठक छमाही आधार पर आयोजित की जाती है, जिसमें सदस्य बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं में राजभाषा कार्यान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की जाती है। यह समिति राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में एक सामूहिक मंच है जिसमें सदस्य बैंकों की उपलब्धियों, नवोन्मेषी कार्यों तथा राजभाषा कार्यान्वयन में होने वाली चुनौतियों पर चर्चा की जाती है और उनके लिए समाधान साझा किए जाते हैं। बैंक नराकास की ओर से, सभी सदस्य बैंकों के स्टाफ सदस्यों के लिए संयुक्त रूप से हिंदी कार्यशालाओं, संगोष्ठियों और अंतर-बैंक हिंदी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं और संयुक्त रूप से बैंक नराकास की हिंदी गृहपत्रिका भी प्रकाशित की जाती है। दक्षिण भारत स्थित प्रमुख शहरों में गठित बैंक नराकास के समन्वयन कार्य का दायित्व, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निम्नानुसार प्रमुख बैंकों को सौंपा गया है-

? बेंगलूरु - केनरा बैंक, प्रधान कार्यालय
? चेन्नै - इंडियन बैंक, कॉर्पोरेट कार्यालय
? मदुरै -सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय
? तिरुवनंतपुरम - केनरा बैंक, मंडल कार्यालय
? हैदराबाद - भारतीय स्टेट बैंक, स्थानीय प्रधान कार्यालय

संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप-समिति तथा आलेख एवं साक्ष्य उप-समिति द्वारा नियमित अंगताल पर क्रमशः सार्वजनिक बैंकों और नराकास के सदस्य बैंकों का निरीक्षण करते हुए, राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र

में हुई प्रगति की निगरानी की जाती है। इन समितियों द्वारा अपेक्षानुरूप संबंधित बैंकों को सुझाव एवं ध्यान देने योग्य बातें आदि साझा की जाती हैं।

दक्षिण भारत स्थित बैंको में राजभाषा कार्यान्वयन की चुनौतियां:- दक्षिण भारत स्थित बैंकों में राजभाषा कार्यान्वयन का विषय एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इन बैंकों में राजभाषा के प्रयोग में निम्नलिखित चुनौतियों का सामना करना पड़ता है-

1. **भाषाई बाधाएँ:-** दक्षिण भारत, जहाँ आम तौर पर द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएँ बोली जाती हैं, उन्हें हिंदी एक विदेशी भाषा की तरह है। इन भाषाओं की लिपि, शब्दों का उच्चारण, लिंग व वचन भेद और व्याकरणिक संरचना हिंदी से बिल्कुल अलग है, जिसके कारण हिंदीतर भाषियों को हिंदी सीखने में काफी हद तक कठिनाई होती है। भाषाविद् डॉ. के. कस्तूरीरंगन के अनुसार, 'भाषाई समन्वय के माध्यम से ही राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया जा सकता है। हिंदी का कार्यान्वयन भाषाई विविधता के सम्मान के साथ होना चाहिए।' (कस्तूरीरंगन समिति रिपोर्ट, 2019)[3]

2. **प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी:**-हिंदी में प्रशिक्षित और कुशल कर्मचारियों की कमी एक बड़ी समस्या है। विभिन्न हिंदी परीक्षाएं उत्तीर्ण करने के बावजूद कर्मचारियों द्वारा राजभाषा हिंदी में कार्य करने की झिझक होती है।

3. **व्यावहारिक उपयोग का अभाव:**-अधिकांश दस्तावेज द्विभाषी होने के बावजूद, व्यावहारिक रूप से दैनिक कामकाज में मूल रूप से हिंदी का उपयोग सीमित है। जब तक मूल रूप से बैंक के कार्य हिंदी में नहीं किए जाते तब तक बैंकों के कर्मचारियों को अनुवाद के लिए राजभाषा अधिकारियों पर निर्भर होना पड़ता है।

4. **ग्राहक वरीयता:**-दक्षिण भारत में अधिकांश ग्राहक स्थानीय भाषा या अंग्रेजी में सेवाएँ लेना पसंद करते हैं, जिससे हिंदी का उपयोग सीमित हो जाता है।

चुनौतियों के लिए समाधान:-दक्षिण भारत स्थित बैंकों में राजभाषा कार्यान्वयन में होने वाली चुनौतियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव-

1. कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित बहुभाषी बैंकिंग सिस्टम के विकास पर ध्याप केंद्रित किया जाए।

2. क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी तक निर्बाध अनुवाद सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं।

3. हिंदी और स्थानीय भाषाओं में वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों का विस्तारण किया जाए।

4. बैंकिंग कर्मचारियों के लिए आभासी हिंदी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाए।

5. सांस्कृतिक एकीकरण: हिंदी के प्रचार-प्रसार को स्थानीय संस्कृति और परंपराओं से जोड़कर प्रस्तुत किया जाता है, जैसे कि ओणम या पोंगल जैसे त्योहारों पर हिंदी कार्यक्रम आयोजित करना, आदि।

6. डिजिटल प्लेटफॉर्म: कई बैंकों ने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं का विकल्प दिया है, जिससे ग्राहकों को अपनी पसंद की भाषा में सेवाएँ मिल सकें।

7. समुदाय आउटरीच: बैंक द्वारा आयोजित वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों में हिंदी और स्थानीय भाषाओं का उपयोग किया जाता है, जिससे समुदाय में हिंदी का प्रचार-प्रसार होता है।

8. व्यावहारिक प्रशिक्षण: सिर्फ औपचारिक प्रशिक्षण के बजाय, कई बैंक अब व्यावहारिक और रोजमर्रा के बैंकिंग कार्यों से संबंधित हिंदी प्रशिक्षण देते हैं। हिंदीतर भाषियों के बीच हिंदी सीखने की इच्छा को प्रेरित करने के लिए,'राजभाषा अधिकारी, खासकर दक्षिण राज्य में काम करने वाले, वहां की भाषा और हिंदी में प्रयुक्त होने वाले समान अर्थ वाले शब्दों की सूची बनाएं और हिंदी कार्यशाला में इनके बारे में बताएं।'(बिजू एम वी, 2016)[4]

हिंदी सीखने के लिए हिंदीतर भाषियों के बीच रुचि पैदा करने के लिए 'जिस दिन हिंदी सीखने को लेकर यह मानसिक झिझक दूर हो जाएगी, तब लोग अपने आप हिंदी सीखने में रुचि दिखाएंगे। यदि क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से हिंदी सिखाने वाले अध्यापक हो तो यह कार्य अधिक आसानी और प्रभावी तरीके से किया जा सकता है।'(डॉ. श्याम सुंदर, 2016)[5]

निष्कर्ष:-राजभाषा कार्यान्वयन के संदर्भ में भारत सरकार की नीति रही - प्रेरणा, प्रोत्साहन और पुरस्कार। इसी क्रम में दक्षिण भारत स्थित बैंकों में राजभाषा कार्यान्वयन एक संतुलित और संवेदनशील दृष्टिकोण के साथ प्रगति की ओर अग्रयर है। यह प्रक्रिया न केवल राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देती है, बल्कि वित्तीय समावेशन और ग्राहक सेवा में भी सुधार करती है। दक्षिण भारत स्थित बैंकों में राजभाषा हिंदी का उपयोग एक जटिल और बहुआयामी विषय है, जिसमें भाषाई, सांस्कृतिक और राजनीतिक पहलू शामिल हैं। चुनौतियों के बावजूद, प्रयास और नवाचार के माध्यम से महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। अंतत:, बैंकिंग क्षेत्र में भाषा नीति का उद्देश्य ग्राहकों की बेहतर सेवा और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना होना चाहिए, जिसमें भाषाई विविधता का सम्मान भी शामिल है। महात्मा गांधी के शब्दों में, 'हिंदी देश की एकता की कड़ी है, लेकिन यह कभी भी किसी अन्य भाषा के विकास में बाधा नहीं बननी चाहिए।' (गांधी, 1945)[6]

श्री जावेद अख्तर साहब के शब्दों में 'मंजिलें हैं तो फासले हैं, फासले हैं तो रास्ते हैं, रास्ता है तो मुश्किलें हैं, मुश्किलें हैं तो हौसला है और हौसला है तो विश्वास है।'

संदर्भ सूची:-

1. राजभाषा की प्रवृत्तियां - डॉ. माणिक मृगेश - वाणी प्रकाशन, दिल्ली - प्रथम संस्करण - 2006
2. संसदीय राजभाषा समिति द्वारा महामहिम राष्ट्रपति को प्रस्तुत नौवें खंड की रिपोर्ट - अध्याय 13 - पैरा 13.13
3. कस्तूरीरंगन समिति. (2019). 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भाषा नीति'. नई दिल्ली: मानव संसाधन विकास मंत्रालय
4. बिजू एम वी, (2016), बैंक में राजभाषा नीति का कार्यान्वयन: दशा और दिशा, संपादक, भारतीय रिज़र्व बैंक
5. डॉ. श्याम सुंदर, (2016), बैंक में राजभाषा नीति का कार्यान्वयन: दशा और दिशा, संपादक, भारतीय रिज़र्व बैंक
6. गांधी, एम.के. (1945). 'हरिजन' (समाचार पत्र), 18 जून1945